

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA



एल.जी.डी की अधिसूचना

LGD Notification

MODIFY TYPE OF LOCALBODY

**Published By**

Name Lekhraj Jagrat  
Designation Senior Joint Legal Remembrancer  
Mobile no. 9829361117  
IP Address 164.100.145.17  
On date 28/06/2024

**Proposed By**

Name MONIKA RAJ  
Designation INFORMATICS ASSISTANT  
Mobile no. 9509429221  
IP Address 164.100.222.44  
On date 29/01/2024

Local body Name (In English) {local-body-name-english}  
Local body Type Name (Old) {local-body-type-name-old}  
Local body Type Name (New) {local-body-type-name-new}  
Effective Date Thu Oct 05 00:00:00 IST 2023

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)( ) (ब.घो.)डीएलबी/23/4664 दिनांक 5/10/2023

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नांकित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत घाटोल ( जिला बांसवाडा ) को सम्मिलित करते हुए एतद्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती है :-

क्र. सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र एवं जनसंख्या
01.	बांसवाडा	घाटोल	ग्राम पंचायत घाटोल की सीमा क्षेत्र में आने वाले समस्त राजस्व ग्राम के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए जनसंख्या - 14,049 ( जनगणना 2011 के अनुसार )

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2023-24 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत घाटोल के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी । विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2025 दि. 1/6/21 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत घाटोल के निर्वाचित सरपंच/उप सरपंच एवं वार्ड पंचों को नवगठित नगर पालिका में कमशः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं वार्ड सदस्य समझा जावेगा । यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हर्देश कुमार शर्मा)  
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)( ) (ब.घो.)डीएलबी/23/4665-4705 दिनांक : 5/10/2023  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
05. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
07. सचिव/ आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
08. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर/निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
09. संभागीय आयुक्त उदयपुर /जिला कलक्टर बांसवाडा ( राजस्थान ) ।
10. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।/पी.आर.ओ. निदेशालय ।
11. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 20 प्रतिया उपलब्ध कराने हेतु।
12. वित्तीय सलाहकार / समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय राज. जयपुर।
13. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
14. नोडल अधिकारी, वेबसाईट निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. सरपंच /उपसरपंच/सचिव संबंधित ग्राम पंचायत घाटोल ( बांसवाडा ) (राज)।
16. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी